संख्या- 116/2026/772 के-2/22-3-2025-17(1099)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 20 अप्रैल, 2026

विषयः-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशी पुत्र श्री छेदी धरिकार, निवासी जनपद-वाराणसी (वर्तमान जनपद-चन्दौली) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी काशी पुत्र श्री छेदी धरिकार, जो ग्राम अदलहाट, जनपद-मीरजापुर। हाल पता-बेलहटा, थाना-बलुआ, जनपद-वाराणसी (वर्तमान जनपद-चन्दौली) का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.12.1984 व 01.01.1985 की मध्य रात्रि को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अछैबर की बहन राधिका को छेड़ने लगे अन्तू ने मना किया इस पर देशी तमंचा से गोली मारकर अन्तू नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-132/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/323 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, वाराणसी के दण्डादेश दिनांक 31.10.1986 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.02.2014 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। दिनांक 03.06.2025 तक 11 वर्ष, 06 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष, 06 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सार्थक प्रयोजन होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं के सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशी (बन्दी संख्या-38/14) पुत्र श्री छेदी धरिकार, निवासी जनपद-वाराणसी (वर्तमान जनपद-चन्दौली) की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/चन्दौली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in